राजस्थान सरकार
कार्यालय अति. मुख्य सचिव, उद्योग एवं
हैड, स्टेट लेवल कमेटी फॉर इन्टर स्टेट माइग्रेशन

क्रमांकः अ.मु.स.उद्योग/निस0स0/377/COVID दिनांकः 11.06.2020

जिला कलेक्टर समस्त
पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक समस्त

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय में सुओ मोटो रिट पिटिशन (सिविल) 06/2020 के सन्दर्भ में दिनांक 09 जून, 2020 को दिये गये निर्देश बाबत्।

जैसा कि आप सब अवगत हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रिट पिटिशन (सिविल) 06/2020 के सन्दर्भ में दिनांक 09 जून, 2020 को श्रमिक माइग्रेशन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं। इस निर्णय के आलोक में निम्न निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें :–

1. इस कार्यालय के पत्रांक अमुस उद्योग/निस.स./163/कोविड/2020 दिनांक 01.06.2020 से आप सभी को लॉकडाउन कैम्प 3.0 में बचे हुए श्रमिकों को उनकी इच्छानुसार इनके गृह जिले/राज्य में भेजे जाने अथवा स्थानीय उद्योग में नियोजित करवाकर कैम्प बन्द करने के लिए कहा गया था जिसकी अनुपालना में आप द्वारा सभी जिलों में शून्य कैम्प की सूचना अपलोड कर दी गई है। इस क्रम में अग्रिम निर्देश यह है कि यदि आपके जिले में अभी भी कुछ श्रमिक ऐसे हैं जो अपने मूल राज्य में जाना चाहते हैं तो आप उन्हें स्थानीय उद्योगों में नियोजित करने का विकल्प देते हुए जिला उद्योग अधिकारी के माध्यम से नियोजित करवाने का प्रयास करें। यदि फिर भी श्रमिक अपने राज्य में लौटना चाहे तो आप सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी और रेल व बस परिचालन हेतु बनी हुई कमेटियों से समन्वय करते हुए गंतव्य राज्य में भेजे जाने हेतु संवेदनशीलता और गम्भीरता से प्रयास करें।

2. सभी जिला कलेक्टर अपने जिले में श्रमिकों के आवागमन/उद्योगों में नियोजन हेतु हैल्पलाइन/हैल्पडेस्क को शुरू करें और समय–समय पर आए हुए प्रकरणों के निस्तारण को देखें।

Scanned by CamScanner

3. यदि आपके जिले से किसी जिला विशेष के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन या श्रमिक स्पेशल बस परिचालन हेतु आवश्यक यात्रीभार बन जाता है तो आप सम्बन्धित कमेटियों से समन्वय करें। कम यात्रीभार होने पर आप नियमित चलने वाली ट्रेन/बस के माध्यम से अपने अनटाइड फण्ड का उपयोग करते हुए श्रमिकों को बाधारहित भेजे जाने की व्यवस्था करें।

4. जो श्रमिक आपके जिले में रूके हुये हैं, उनके लिए राज्य और केन्द्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हिसाब से पात्रता जॉचकर लाभ देने का प्रयास करें। इस हेतु आप प्रचार सामग्री का वितरण भी सुनिश्चित करें।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय में सुओ मोटो रिट पिटिशन (सिविल) 06/2020 के सन्दर्भ में दिनांक 09 जून, 2020 को दिये गये निर्णय की प्रति आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। निर्णयानुसार अन्य आवश्यक व्यवस्थायें करें।

11/06/2020

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
4. विशिष्ठ सहायक, उप मुख्यमंत्री
5. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
8. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
9. महानिदेशक, होमगार्ड्स/जेल, राजस्थान।
10. समस्त विभागाध्यक्ष।
11. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
14. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
15. नोडल अधिकारी .....
16. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को सभी प्रचार माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

11/06/20

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग

Scanned by CamScanner